कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश

नर्मदा मार्ग, रामपुर चौराहे के आगे, जबलपुर (म.प्र.)

कौशलं बलम

Ph: +91-761-2661021 | Web: www.mpskills.gov.in | Android App: KOUSHALAM | Facebook: Mapskills | Twitter: Map_Skills

–: आदेश :–

/जबलपुर, दिनांक : 14/03/2018

क्रमांक कौविसं./स्थाप–प्र/सामा–229/2018/ 1296 /प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) भोपाल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिये आयोजित लिखित परीक्षा के उपरान्त पीईबी से प्राप्त चयन सूची के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवार को उनके अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800+रू.3200/–ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में ईपी लेवल–8 के अंतर्गत रू. 32800/–) एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तो पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :–

1. परीवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण अधिकारी को डीजीईटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई/ सीटीआई) से एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। यदि वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनकी सेवायें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार नियमित की जाकर उनकी रूकी हुई सभी वेतनवृद्धियां प्राप्त हो जावेगी।
2. शासन द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर उम्मीदवार किन्हीं भी कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण न कर बीच में वापिस होता है तो उस पर शासन द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय वेतन एवं भत्तों सहित वसूली योग्य होगा।
3. परीवीक्षा अवधि में उनकी सेवाएँ कभी भी बिना कारण बताऐ एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवायें छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवायें समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त कर सकेगा।
5. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि उम्मीदवार का निःशक्तता प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा ।
7. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। कार्यग्रहण के समय इस हेतु आपको संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
8. उम्मीदवार की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 12(1)(क) के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) भोपाल से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी।
9. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.2005 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।

10. उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित संस्था में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। एक माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम	पद का नाम प्रशिक्षण अधिकारी	योग्यता डिग्री/ डिप्लोमा/ आईटीआई	आरक्षित/ अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विवेक सोनी/जयकुमार सोनी, ग्राम–धिगसर, पोस्ट–मुड़िया दमोह–470661	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	PGDCA	अन्य पिछड़ा वर्ग (श्रवण बाधित)	नोहटा (दमोह)

(संजीव सिंह) I.A.S.
संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश

क्रमांक कौविसं/स्थाप–प्र/सामा–229/2018/ 1297 /जबलपुर, दिनांक 14/03/2018
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, सागर मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य/संस्था प्रमुख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नोहटा (दमोह) मध्यप्रदेश। चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश की कंडिका 7 में दर्शाये अनुसार पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में पूर्ण रूप से भरवाकर प्राप्त करें और उनके स्थाई/अस्थाई निवास तथा शिक्षा प्राप्त करने के दौरान निवासरत अवधि का पुलिस चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र भेंजे। पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संचालनालय को मूलतः भेंजे। उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, जाति एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। उम्मीदवार के डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण होने की स्थिति में समस्त सेमेस्टर की अंकसूची की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रति संचालनालय को भेजें। अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र का प्रारूप संचालनालय की बेवसाइट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है।
6. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ण रूप से भरकर शपथ पत्र सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
8. स्टेनो संचालक/अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।
9. अधीक्षक/स्थापना/गोपनीय/बजट/पदक्रम सूची अनुभाग, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर।

(संजीव सिंह) I.A.S.
संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश